भारत सरकार/Government of India परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र/Indira Gandhi Centre for Atomic Research

चेंगलपट्टु जिला/Chengalpattu District, कलपाक्कम/Kalpakkam - 603 102

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (इंगापअंकें) में संदर्भित(बेंचमार्क) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यबीडी) के लिए समान अवसर नीति

EQUAL OPPORTUNITY POLICY FOR PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES (PWBD) IN INDIRA GANDHI CENTRE FOR ATOMIC RESEARCH (IGCAR)

भारत सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम) पारित किया है और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 को अधिसूचित किया है ताकि दिव्यांगजन अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (2006) में निहित सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके। दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 8 के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपनी वेबसाइट और अन्य प्रमुख स्थानों पर समान अवसर नीति प्रदर्शित करनी होगी। तदनुसार, इंगापअंकें में निम्नवत समान अवसर नीति (ईओपी) तैयार की गई है:

The Government of India has enacted the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) and notified the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 to give effect to the principles enshrined in the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities (2006). Rule 8 of RPwD Rules, 2017 mandates that every establishment shall display the Equal Opportunity Policy on its websites and other conspicuous places. Accordingly, the Equal Opportunity Policy (EOP) is hereby framed in IGCAR as follows:

2. कार्य क्षेत्र / SCOPE

यह केंद्र यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है कि दिव्यांग व्यक्तियों को कार्यस्थल पर समान अवसर प्राप्त हों और उन्हें कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अनुकूल वातावरण मिलना सुनिश्चित हो। यह केंद्र यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि दिव्यांगता के आधार पर किसी कार्मिक को करियर में प्रगति या कार्य अवसर में किसी भी प्रकार का भेदभाव न झेलना पड़े।

It is the endeavour of this Centre to ensure that person with disabilities have the right to equal opportunity at workplace and ensure a conducive atmosphere at

workplace in effectively discharging their duties. This Centre will strive to ensure that no discrimination of any sort in career progression or working opportunity is faced by an employee on the grounds of disability.

3. परिभाषाएं / DEFINITIONS

नीति में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत निर्धारित होंगी। हालाँकि, नीति के अंतर्गत सरकारी प्रतिष्ठान और सार्वजनिक भवन की परिभाषा का दायरा उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जिन्हें रणनीतिक और सुरक्षा कारणों से परमाणु ऊर्जा अधिनियम के अंतर्गत "निषिद्ध क्षेत्र" घोषित किया गया है, अर्थात् कोई भी क्षेत्र या परिसर जहाँ परमाणु ऊर्जा या किसी विनिर्दिष्ट पदार्थ के उत्पादन, उपचार, उपयोग, अनुप्रयोग या निपटान के संबंध में अनुसंधान, डिजाइन या विकास कार्य किया जाता है।

The definitions of terms used in the policy will be as prescribed under the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 and the Right of Persons with Disabilities Rules, 2017. However, the scope of definition of Government Establishment and public building under the policy would not apply to areas which has been declared as "prohibited area" under the Atomic Energy Act due to strategic & safety reasons i.e, any area or premise where work including research, design or development is carried on in respect of the production, treatment, use, application or disposal of atomic energy or of any prescribed substance.

4. <u>नीतिगत ढाँचा / POLICY FRAMEWORK</u>

इस नीति के अंतर्गत, इंगापअंकें निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है: Under the ambit of the policy, IGCAR is committed to provide the following:

I. <u>दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं / Facilities and amenities provided to PwDs :</u>

a) एनबीसी के अनुसार इंगापअंकें के सभी कार्यालय भवनों में बाधा-मुक्त डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए प्रवेश द्वार पर रैंप या भूतल पर अलग प्रवेश द्वार उपलब्ध कराए जाने हैं। अब तक इंगापअंकें के 35 से अधिक कार्यालय/प्रयोगशाला भवनों में भूतल पर रैंप उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

Considering the barrier free design ramps are provided either in entrance porch or separate entrance in the ground floor in all office buildings in IGCAR as per NBC. Till now more than 35 office/laboratory buildings within IGCAR are provided with ramps in the ground floor.

b) इसी डिज़ाइन सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में नवनिर्मित भवनों के भूतल पर दिव्यांगजनों के लिए शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कुछ कार्यालय और प्रयोगशाला भवनों में, भूतल पर मौजूद कम से कम एक शौचालय को व्हीलचेयर की आवाजाही के लिए हैंडरेल की व्यवस्था के साथ संशोधित या प्रस्तावित किया गया है।

Also considering the same design philosophy, physically challenged toilet are being provided in the ground floor of the newly constructed buildings in recent time and in few of the office and laboratory building at least one of ground floor existing toilets are modified or proposed to accommodate for wheel chair movement along with provision of handrail.

c) कार्यालय भवनों के सभी तलों पर लिफ्ट के प्रवेश लॉबी क्षेत्र के सामने फिसलन रोधी टेप लगाए गए हैं।

Anti-skid tapes are provided in front of the lift entrance lobby area for all the floors at office buildings.

d) दिव्यांगजनों के आसान आवागमन के लिए प्रत्येक भवन की सीढ़ियों के नीचे एक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई गई है।

A wheel Chair is provided beneath the staircase of each building to easy movement of PwDs.

II. <u>दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान तथा प्रतिष्ठान में संदर्भित(बेंचमार्क)</u> दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन का तरीका:

Identification of posts suitable for PwDs and the manner for implementation of reservation for persons with benchmark disabilities in the Establishment:

क्र.सं.	सीधी भर्ती के पद		दिव्यांगता की	श्रेणी	विचार नहीं किया
SI. No.	Direct Recruitment Posts		प्रकृति	Category	जाएगा
	समूह	पद नाम Post Name	Nature of		Not
	Group		Disability		Considered
1.	Α	तकनीकी अधिकारी/सी	LV	а	अंधता / Blind
		Technical Officer/C			(B)
			HH	b	बधिर / Deaf (D)
			OA, OL, BL, Dw, AAV, LC	С	BA, OAL, BLOA, BLA, CP, MDY
2.	В	वैज्ञानिक सहायक/सी	LV	а	अंधता / Blind
		(या) वृत्तिभोगी केटेगरी प्रशिक्ष् -।			(B)
			HH	b	बधिर / Deaf (D)
		Scientific Assistant/C	OA, OL, BL,	С	BA, OAL,

क्र.सं.	सीधी भर्ती के पद		दिव्यांगता की	श्रेणी	विचार नहीं किया
SI.	Direct Recruitment Posts		प्रकृति	Category	जाएगा
No.	समूह Group	पद नाम Post Name	Nature of Disability		Not Considered
		(or) Stipendiary Category Trainee-I	, ,		BLOA, BLA, CP, MDY
3.	С	तकनीशियन/बी (या)	LV	а	अंधता / Blind
		वृत्तिभोगी केटेगरी प्रशिक्षु -।।			(B)
			HH	b	बधिर / Deaf (D)
		Technician/B (or) Stipendiary Category Trainee-II	OA, OL, Dw, AAV, LC	С	BL, BA, OAL, BLOA, BLA, CP, MDY
4.	С	प्रवर श्रेणी लिपिक एवं स्टेनोग्राफर ग्रेड-III	LV	а	अंधता / Blind (B)
		Upper Division Clerk & Stenographer Grade-III	HH	b	बधिर / Deaf (D)
			OA, OL, BL, Dw, AAV, LC	С	BA, OAL, BLOA, BLA, CP, MDY
5.	С	कार्य सहायक/ए Work Assistant/A	LV	а	अंधता / Blind (B)
			D	b	-
			HH	b	-
			OA, OL, BL, Dw, AAV, LC	С	BA, OAL, BLOA, BLA, CP, MDY
			ASD, MI, SLD, ID	d	-
6.	С	कैंटीन अटेंडेंट Canteen Attendant	LV	а	अंधता / Blind (B)
			D, HH	b	-
			OA, OL, BL, Dw, AAV, LC	С	BA, OAL, BLOA, BLA, CP, MDY
			ASD, MI, SLD, ID	d	-
7.	С	ड्राइवर (ओजी) एवं सुरक्षा गार्ड Driver (OG) & Security Guard	कोई नहीं / NIL	-	-

संकेतिका / Legends:

क्र.सं.	दिव्यांगता श्रेणी	दिव्यांगता की प्रकृति Nature of Disability	संक्षिप्त रूप
SI No	Category of Diability		Abbrev.
1	2-2/0	निम्न दृष्टि / Low Vision	LV
2	श्रेणी/Cat-a	अंधता / Blind	В
3	2 - 1 b	ऊंचा सुनने वाला / Hard of Hearing	HH
4	श्रेणी/Cat-b	बधिर / Deaf	D
5		एक हाथ / One Arm	OA
6		एक पैर / One Leg	OL
7		दोनों हाथ / Both Arms	BA
8	श्रेणी/Cat-c	दोनों पैर / Both Leg	BL
9		बौनापन / Dwarfism	Dw
10		तेजाबी आक्रमण (एसिड अटैक) पीड़ित	AAV
		Acid Attack Victims	
11		दोनों पैर / Both Legs Arms	BLA
12		एक हाथ और एक पैर	OAL
		One Arm and One leg	
13	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	दोनों पैर और एक हाथ	BLOA
	श्रेणी/Cat-c	Both Legs and One Arm	
14		प्रमस्तिष्क घात / Cerebral Palsy	СР
15		कुष्ठ रोगमुक्त / Leprosy Cured	LC
16		पेशीय दुष्पोषण / Muscular Dystrophy	MDY
17		ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार	ASD
		Autism Spectrum Disorder	
18	श्रेणी/Cat-d	मानसिक रुग्णता / Mental Illness	MI
19	74-11/Oat-u	विशिष्ट अधिगम अक्षमता	SLD
		Specific Learning Disability	
20		बौद्धिक अक्षमता / Intellectual Disability	ID

III. <u>विभिन्न पदों के लिए दिव्यांगजनों के चयन में उचित समायोजन</u> <u>Reasonable accommodation in the selection of PwDs for various posts</u>

इस केंद्र के आवेदन पत्रों, सत्यापन और कार्यभार ग्रहण प्रपत्रों में दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त कॉलम शामिल किया गया है। चयन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें भूतल पर स्थान देने के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाती है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। कार्यबल में दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। नियोजित दिव्यांगजनों की संख्या, नियुक्ति तिथि, संचार विवरण, दिव्यांगता की प्रकृति, कार्य की प्रकृति और प्रदान की गई स्विधाओं का डेटा रखा जाता है।

The column PwBD is included in Application forms, Attestation and Joining forms of this Centre. And during the selection process, necessary care is taken to accommodate them in the Ground floor. Reservation in appointments are provided, as per Government of India instruction issued from time to time. Special Drives are conducted to maintain the representation of PwDs in the workforce. Data on the number of PwDs employed, date of appointment, communication details, nature of disability, nature of work and facilities provided are maintained.

IV. <u>रोजगार संबंधी प्रशिक्षण सुविधा / Employment-related training facility</u>

दिव्यांगजनों के लिए सुझाए गए विशिष्ट प्रशिक्षण इस प्रकार हैं-Specific training suggested for PwBDs are -

- प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्य कार्मिकों के साथ-साथ आयोजित किए जाने चाहिए।
 Induction Training Programme should be imparted together with the other employees.
- भर्ती के बाद कार्य-विशिष्ट और पदोन्नित-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
 - Jobs specific post-recruitment as well as pre-promotion training programmes are to be organized.
- इंगापअंकें में दिव्यांगजनों के लिए चिन्हित कार्य पद्धित और पदों के अनुसार, दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशिष्ट मॉड्यूल/मानदंड विकसित किए जाने हैं।
 - As per the work pattern and the posts identified for PwBDs in IGCAR, the specific modules/norm for training programmes is to be evolved based on the type and level of disability.
- दिव्यांगजनों के लिए अन्य कार्मिकों के साथ कार्य-विशिष्ट समावेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।
 - Job-specific inclusive training programmes for PwBDs with other employees is to be conducted.

- दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार हेतु तकनीकी अनुकूलन प्रशिक्षण आयोजित किया जाना है।

 Training for technological adaptation, to PwBDs keeping in view their distinct needs to be conducted with a view to improve their work conditions.
- दिट्यांग कर्मचारी को किसी पद का कार्यभार ग्रहण करने पर कम से कम एक माह के लिए किसी अनुभवी कार्मिक के साथ रखा जाएगा। इससे वह कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित कर सकेगा एवं विशिष्ट मामलों में आवश्यक अनुकूलन प्राप्त कर सकेगा।

The employee with disability shall be placed with an experienced employee for at least one month on resuming responsibility of a post. This enables him/her to pick up skills required to perform the job and also the adaptations that may be required in individual cases.

 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्य में परिवर्तन, नई तकनीक के आगमन, कर्मचारी की पदोन्नित आदि के समय आयोजित किए जाएंगे। प्रशिक्षण स्थल ऐसे प्रशिक्षणों के संचालन के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

Training programmes to be conducted at the time of change in job, introduction of new technology, after promotion of the employee etc. The venue of the training should be suitable for conducting such trainings.

 ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु बजट आवश्यकताओं का उचित प्रावधान किया जाएगा।

The budget requirements for undertaking such training programmes shall be suitably provisioned.

V. पदोन्नति/Promotions

इस केंद्र द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारियों से इतर अन्य संदर्भित(बेंचमार्क) दिव्यांगजनों के लिए विभाग द्वारा जारी किए गए पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया जाता है।

Reservation in promotions to Persons with Benchmark Disabilities other than S&T personnel issued by Department is followed by this Centre.

VI. स्थानांतरण एवं तैनाती में वरीयता /Preference in transfer and posting

पदोन्नित और आंतर-स्थानांतरण/तैनाती के दौरान दिव्यांगजनों के स्थानांतरण के अनुरोध पर, उनकी सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए, यथासंभव सहयोगात्मक रूप से विचार करना।

To supportively consider, to the extent possible, the request of persons with disabilities with respect to transfer during promotion and intra-transfer/posting, for optimally utilizing their services.

VII. <u>विशेष अवकाश, आवास आबंटन में वरीयता, यदि कोई हो और अन्य सुविधाएँ</u> <u>Special leave, preference in allotment of residential accommodation if any,</u> and other facilities

- दिव्यांगजनों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को अवकाश के संबंध में सरकारी नियमों का पालन करना। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए, उनकी दिव्यांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए, एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है।

 To follow Government rules regarding leave to employees to meet specific
 - To follow Government rules regarding leave to employees to meet specific requirement of disabilities. A provision of Special Casual Leave for 4 days in a calendar year has been made for the employees of Central Government with disabilities for specific requirements relating to disabilities of the official.
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31/03/2014 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार,
 जिसमें दिव्यांगजनों के लिए तैनाती स्थल के निकट सुलभ आवास उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है, जीएसओ ऐसे व्यक्तियों को भूतल पर आवास आवंटित कर रहा है।
 दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता बढ़ाने और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आवास इकाइयों का नवीनीकरण भी किया जा रहा है।

In accordance with the DoPT Office Memorandum dated 31/03/2014, which emphasizes providing accessible accommodation near the place of posting for persons with disabilities, the GSO is allotting ground floor accommodations to such individuals. Existing housing units are also being renovated to enhance accessibility and ensure convenience for persons with disabilities.

VIII. सहायक उपकरणों के प्रावधान, बाधा-मुक्त पहुंच <u>Provisions for assistive devices, barrier-free accessibility</u>

• इंगांपअकें वेबसाइट (https://www.igcar.gov.in/) पर निम्नितिखित पहुंच सुविधाएँ लागू की गई हैं।

The following accessibility features have been implemented on the IGCAR website (https://www.igcar.gov.in/).

1) टेक्स्ट साइज़ मैग्निफायर: उपयोगकर्ता टेक्स्ट साइज़ मैग्निफायर सुविधा का उपयोग करके सभी वेबपृष्ठों पर बेहतर पठन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर

पठनीयता के लिए फ़ॉन्ट आकार, टेक्स्ट स्पेसिंग और लाइन की ऊँचाई को गतिशील रूप से समायोजित करने के लिए पांच समर्पित बटन दिए गए हैं:

Text Size Magnifier: Users can achieve better reading experience across all webpages using the Text Size Magnifier feature. Five dedicated buttons are provided to dynamically adjust font size, text spacing, and line height for enhanced readability:

- a. फ़ॉन्ट वृद्धि वर्तमान पृष्ठ पर फ़ॉन्ट आकार को बड़ा करता है Font Increase - Enlarges the font size on the current page
- b. फ़ॉन्ट कमी वर्तमान पृष्ठ पर फ़ॉन्ट आकार को छोटा करता है Font Decrease – Shrinks the font size on the current page
- c. सामान्य फ़ॉन्ट टेक्स्ट आकार को वेबसाइट के डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार में प्नर्स्थापित करता है Normal Font – Restores the text size to the website's default font size
- d. टेक्स्ट स्पेसिंग अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी को बढ़ाता है Text Spacing – Widens the spacing between letters and words
- e. लाइन की ऊँचाई टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच लंबवत दूरी को बढ़ाता है Line Height – Increases the vertical spacing between lines of text
- 2) लिंक हाइलाइट: यह स्विधा वेबपृष्ठ में उपलब्ध सभी हाइपरलिंक को गहरे रंग की पृष्ठभूमि से हाइलाइट करती है।

Highlight Links: This feature highlights all available hyperlinks in webpage with dark background.

3) स्क्रीन रीडर क्षमता: वेबसाइट को सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले तृतीय-पक्ष स्क्रीन रीडर टूल्स के साथ संगत बनाने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जिन्हें वेबसाइट पृष्ठों पर उपलब्ध सामग्री को नेविगेट करने और समझने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Screen Reader Capability: The website has been modified suitably to become compatible with commonly used third-party screen reader tools, which have been listed to assist users in navigating and understanding the content available on website pages.

इन सुविधाओं को वेब-पृष्ठों के शीर्ष पर स्थित "एक्सेसिबिलिटी टूल्स" आइकन (🔟) का उपयोग करके एक्सेस किया जा सकता है।

These features may be accessed using "Accessibility Tools" icon ()

IX. <u>स्थापना द्वारा संपर्क अधिकारी की नियुक्ति / Appointment of Liaison Officer by the</u> Establishment

डॉ. के.वी. राजकुमार को कार्यालय आदेश संख्या Dir/65/2024 दिनांक 30.05.2024 के तहत इंगांपअकें में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

Dr K.V. Rajkumar has been appointed as Liaison officer for SCs/STs and PwBDs in IGCAR vide Office Order No.Dir/65/2024 dated 30.05.2024.

X. शिकायत निवारण की प्रक्रिया / Procedure for grievance redressal

इंगांपअकें में कार्यालय आदेश संख्या Dir/61/2024 दिनांक 30.05.2024 के तहत संदर्भित(बेंचमार्क) दिव्यांगजनों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इंगांपअकें में दिव्यांग कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए इस केंद्र के भर्ती अनुभाग में एक शिकायत रजिस्टर रखा जाता है। शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्तियों को संयोजक की उपस्थिति में व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाता है और शिकायत दर्ज होने के एक महीने के भीतर उनका समाधान किया जाता है।

A grievance Redressal Cell for Persons with Benchmark Disabilities has been constituted vide Office Order No.Dir/61/2024 dated 30.05.2024 in IGCAR. A grievance register is maintained in Recruitment section of this Centre for recording the grievance of PwBD employees in IGCAR. Individuals filing grievance are given adequate opportunity of being heard in person in the presence of Convener and addressed within 1 month of its registration.

XI. सुग्राहयता / Sensitisation

- सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों (विशेषकर जिन्हें कोई दिव्यांगता नहीं है) को दिव्यांगता से संबंधित मुद्दों पर शिक्षित करने और भेदभाव को रोकने के लिए समय-समय पर सुग्राह्यता प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। Sensitization trainings and awareness drives shall be organized periodically to educate all employees and managers (especially for those without disabilities), on issues regarding disability and to prevent discrimination.
- ऑटिज़्म या मनोसामाजिक दिव्यांगता जैसी अदृश्य दिव्यांगताओं के संदर्भ में विशेष
 ध्यान देते हुए, दिव्यांग कर्मचारियों को उपलब्ध सभी अधिकार और सुविधाओं को

कार्यान्वयन के दौरान सुनिश्चित किया जाएगा; और एक अधिक समावेशी कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा।

All rights and accommodations available to employees with disabilities shall be secured to them in implementation, particularly in the context of invisible disabilities, such as autism or psychosocial disabilities; and to foster a more inclusive workplace culture

- नियोजित प्रशिक्षण सत्रों को दर्शाने वाला एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा।
 An annual calendar indicating the training sessions planned shall be prepared.
- वास्तिवक दुनिया के मुद्दों और वास्तिवक जीवन के अनुभवों पर अनुभव प्रदान करने के लिए दिव्यांगजनों के संगठनों (डीपीओ) के साथ आविधक सहयोग की योजना बनाई जाएगी।

Periodic collaborations shall be planned with Disabled People's Organisations (DPOs) to provide experiences on real-world issues and real-life experiences.

 एनआईईपीएमडी जैसे विशिष्ट संगठनों के संकाय सदस्यों को दिव्यांगजनों द्वारा सामना किए जाने वाले संवेदीकरण मुद्दों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

Faculty from specific organizations like NIEPMD are invited for giving lecture on sensitization issues faced by the PwBDs.

XII. देखभालकर्ताओं के लिए सुविधाएँ / Accommodations for caregivers

एक सरकारी कर्मचारी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(आर) के अंतर्गत परिभाषित संदर्भित(बेंचमार्क) दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित, संदर्भित(बेंचमार्क) दिव्यांगता से ग्रस्त आश्रित पुत्री/पुत्र/माता-पिता/पित/पत्नी/भाई/बहन का देखभालकर्ता है, उसे प्रशासनिक बाध्यताओं के अधीन स्थानांतरण/रोटेशनल स्थानांतरण की नियमित प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है।

A Government employee who is a care-giver of dependent daughter/son/parents/spouse/brother/sister with Specified Disability, as certified by the certifying authority as a Person with Benchmark Disabilities as defined under Section 2(r) of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 may be exempted from the routine exercise of transfer/rotational transfer subject to the administrative constraints.

XIII: समान अवसर नीति (ईओपी) से संबंधित प्रक्रियाएँ / Procedures pertaining to the EOP

समान अवसर नीति (ईओपी) में दिव्यांगजनों को प्रदान किए जाने वाले अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस केंद्र की कार्यप्रणाली की जानकारी शामिल है।

The Equal Opportunity Policy (EOP) contains information on the practices of this Centre to build awareness about the opportunities provided to PwBDs.

केंद्र में इस नीति के कार्यान्वयन के दौरान प्राप्त लाभों या आने वाली समस्याओं का आकलन करने के लिए इसकी हर साल समीक्षा की जाएगी। आवश्यकतानुसार, इंगांपअकें के निदेशक के अनुमोदन से नीति में उपयुक्त संशोधन किए जाएंगे।

This Policy will be reviewed every year to assess the benefits derived or the problems faced during its implementation in the Centre. The policy will be amended suitably, as and when needed, with the approval of Director, IGCAR.